THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) One Unani dispenasary has recently been sanctioned under Central Government Health Scheme in the state of Karnataka.

(b) and (c) It has been decided to set up the National Institution of Unani Medicine at Bangalore for which land has already been given by the State Government of Karnataka and construction activities for setting up of the Institute have already been started. This Institute, besides giving Post Graduate Education in Unani Medicine, would also take up research activities under Unani Systemes. Besides this, Government has already set up the Central Council for research in Unani Medicine, with headquarters at New Delhi. This Council is having Regional Units/Centres, including the Clinical Research Centre at Bangalore in Karnataka, which are already engaged in research activities in different fields of Unani Medicine.

अस्पतालों में डाक्टरों तथा नर्सों का अशिष्ट व्यवहार

2521. **श्री नागमणि:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अस्पतालों तथा औषधालयों में डाक्टरों तथा नर्सों का व्यवहार विनम्र नहीं है और वे बहुत अशिष्टता से जनता से पेश आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रकोष्ट के माध्यम से कितने डाक्टरों तथा नर्सों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे अशिष्ट डाक्टरों तथा नर्सों को सरकारी सेवा से बरखास्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इक़बाल शेरवानी): (क) से (ग) जी नहीं। कुल मिलाकर अस्पतालों और औषधालयों में डाक्टर और नर्सें रोगियों के प्रति नम्र और दयालु होते हैं। तथापि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में जन शिकायत निवारण समिति है। यह समिति केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में रोगियों की चिकित्सा परिचर्या से संबंधित शिकायतों पर विचार करती है। दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अस्तपाल में एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है।

गैर-सरकारी नर्सिंग होमों में गरीब लोगों के इलाज हेतु नियम

2522. **श्री नागमणि:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी नर्सिंग होमों में गरीब लोगों का इलाज किये जाने संबंधी कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इन नियमों का पालन केवल कागजों में ही किया जाता है और मात्र औपचारिकताएं पूरी करने के लिए गरीब लोगों के नाम से झूठी प्रविष्टियां की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए कोई अभियान शुरू किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इक़बाल शेरवानी): (क) से (घ) दिल्ली उपचर्या गृह पंजीकरण अधियिनम 1953 तथा उसके अर्न्तगत बने नियमों में निजी उपचर्या गृहों में गरीब रोगियों के चिकित्सा उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, विगत में सीमा शुल्क को रियायती-दर पर चिकित्सा उपकरण आयात करने के लिए निजी अस्पतालों / उपचर्या गृहों को इस शर्त पर अनुमति दी गई कि वहिरंग रोगी विभाग / अन्तरंग रोगी विभाग में गरीबों को कुछ प्रतिशत निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसकी जांच करें कि क्या निजी अस्पतालों / उपचर्या गृहों द्वारा ये शर्तें पूरी की जा रही हैं।

0-6 वर्ष के आयु-वर्ग में बच्चों की मृत्यु-दर

2523. **श्री सतीश प्रधान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1993, 1994 तथा 1996 के दौरान 0-6 वर्ष के आयु-वर्ग में बच्चों की मृत्यु-दर पृथक-पृथक क्या-क्या रही;